बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0 पटना, दिनांक–

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा–22(एच) –सह– पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ संचालित योजना के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या–बी0सी0डब्लू0सी0–62/2014 श्र0सं0–34 दिनांक–16.01.2017 के कंडिका (ख)(II) को निम्नवत् संशोधन करती है :–

(ख) (II) **साईकिल क्रय अनुदान योजना** :– अहर्ता प्राप्त निबंधित निर्माण श्रमिक साईकिल क्रय करने के बाद रसीद उपलब्ध कराएगें। तत्पश्चात् बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा रसीद में वर्णित राशि अथवा ₹ 3,500/– (रूपये तीन हजार पाँच सौ), इनमें से जो न्यूनतम होगी, की प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के उप श्रमायुक्त से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर उपलब्ध करायी जाएगी। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अवधि में एक ही बार यह अनुदान देय है, अतः जिन कामगारों को पूर्व में साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।

शेष कंडिकाएँ उक्त अधिसूचना संख्या– बी0सी0डब्लू0सी0–62/2014 श्र0सं0–34 दिनांक–16.01.2017 के अनुसार पूर्ववत रहेगी।

(पत्र सं0–बी.सी.डब्लू.सी.–149/2016–17 श्र0सं0– 72 पटना, दिनांक– 02.02.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1/2/18

(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.

सरकार के अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

अधिसूचना

एस0ओ0 पटना, दिनांक–

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(पत्र सं0–बी.सी.डब्लू.सी.–149/2016–17 श्र0सं0– 72 पटना, दिनांक– 02.02.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1/2/18

(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.

सरकार के अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

D/RD/BOCW Letter

Government of Bihar
Labour Resources Department

Notification

S.Q.- Patna, Date -

In exercise of power conferred by section 22(h) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and condition of service) Act, 1996 (27 of 1996) and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and condition of service) (Amendment) Rules, 2016, (Rule 284-A), the Government of Bihar makes following amendment in the Para-B(ii) of Notification No. B.C.W.C-62/2016 L.R.-34 dated-16.01.2017 .

B(ii). Grant for purchase of Bicycle - After purchasing the Bicycle, eligible construction workers will submit the receipt. On the basis of sanction of DLC of the district, the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board will reimburse the amount of receipt or Rs. 3500/- (Rupees Three thousand Five hundred), whichever will be minimum. Since, this benefit will be provided to the registered construction workers only once in the whole period of membership, hence those registered construction workers who have already availed this benefit would not be entitled for the same.

Rest of the Notification No. B.C.W.C-62/2016 L.R.-34 dated- 16.01.2017 will remain unchanged.

(No. B.C.W.C.-149/2016-17 L.R.- 72)

By order of the Government of Bihar,

1/2/18

(K. Senthil Kumar) I.A.S
Additional Secretary.
Labour Resources Department, Bihar

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-149/2016-17 श्र0सं0- 72 पटना, दिनांक-02.02.2018

प्रतिलिपि :- ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/2/18

(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-149/2016-17 श्र0सं0- 72 पटना, दिनांक-02.02.2018

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/2/18

(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-149/2016-17 श्र0सं0- 72 पटना, दिनांक-02.02.2018

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/2/18

(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार